अपर उपायुक्त, सरायकेला – खरसावॉ का न्यायालय, सरायकेला ।

एस0ए0आर0 अपील वाद सं0–20/2016–17

आनन्द प्राहक एवं अन्य

वनाम

मीठू सरदार एवं अन्य

14/08/2017

यह अपील भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, सरायकेला के न्यायालय द्वारा एस0ए0आर0 वाद सं0– 01/2013–14 में दिनांक–30.08.2016 को पारित आदेश के विरूद्ध 1. आनन्द प्रहक 2. राजेश कुमार प्रहक दोनों के पिता स्व0 नारायण दास प्रहक 3. विनय कुमार प्रहक 4. विकास कुमार प्रहक दोनों के पिता स्व0 त्रिलोक कुमार प्रहक पता–कुलूपटांगा थाना–आर0आई0टी0 जिला– सरायकेला – खरसावॉ के द्वारा अपील वाद दायर किया गया है। इस वाद के प्रतिवादी 1. मीठू सरदार 2.छोटू सरदार 3. विनोद सरदार तीनों के पिता स्व0 हराधन सरदार पता–कुलूपटांगा थाना–आर0आई0टी0 जिला– सरायकेला – खरसावॉ है। वादग्रस्त भूमि का विवरणी इस प्रकार है – मौजा –कुलुपटांगा, थाना सं0–130, पु0 खाता सं0–55, नया खाता सं0–32, पु0खेसरा सं0 –21 नया खेसरा सं0 कमशः–1105, 1222 एवं 1223 रकवा कमशः–3375 वर्गफीट, 87 वर्गफीट एवं 1650 वर्गफीट, कुल रकवा – 5112 वर्गफीट है।

अपीलकर्त्ता/वादी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अपने लिखित बहसनामा में निम्न विन्दुओं पर पक्ष रखा गया –

1. प्रश्नगत भूखण्ड पर इनका दखल कब्जा नहीं है जबकि प्लॉट सं0–1222 एवं 1223 के अंत रकवा पर आम रास्ता है जिसका उपयोग सभी करते हैं।
2. मिथुन सरदार एवं अन्य द्वारा प्रश्नगत भूखण्ड पर दायर भू वापसी वाद आवेदन पर अंचल अधिकारी द्वारा गलत जांच प्रतिवेदन समर्पित किया गया है।
3. प्रश्नगत भूखण्ड के आंशिक रकवा पर गणेश कुमार सिंह, सुनील प्रसाद, अनिल सिंह के द्वारा मकान बनाया गया हैं।
4. प्रश्नगत भूखण्ड के मुख्य रैयत जलेश्वरी सरदारिन है जो सविता कुमारी पिता पारसराम मलहोत्रा को गोद लिये तब से सविता देवी द्वारा मकान बनाया गया है।
5. अंचल अधिकारी द्वारा बिना भूखण्ड का सीमांकन किये ही दखल संबंधी जांच प्रतिवेदन में वर्णन किये हैं।

प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा लिखित बहसनामा में निम्न पक्ष रखा गया है –

1. प्रश्नगत भूखण्ड सर्वे 1961 में प्रश्नगत भूखण्ड लखन सरदार एवं अन्य, जाति भूमिज के नाम पर दर्ज है एवं नया एन.ए.सी. सर्वे

1983 में कोका सरदार पिता लखन सरदार जाति–भूमिज के नाम से दर्ज है। पंजी–2 के अनुसार सर्वे 1961 के अनुरूप जमाबंदी कायम है तथा लगान वर्ष 2009–10 तक कायम है जिसका वर्णन अंचल अधिकारी गम्हरिया के पत्रांक–1478 दिनांक 23.09.2015 द्वारा की गई है।

उपरोक्त विन्दुओं के आलोक में निम्नलिखित स्थिति स्पष्ट होता है –

1. प्रश्नगत भूखण्ड सर्वे 1961 एवं एन.ए.सी. सर्वे 1983 में आदिवासी खाते की भूमि है जिसका लगान भुगतान आदिवासी रैयतों द्वारा किया जाता है।
2. प्रश्नगत भूखण्ड पर बिना किसी आधार पर दखल / मकान निर्मित किया जाना छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा–46 का घोर उल्लंघन है ।

भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, सरायकेला ने एस0ए0आर0 वाद सं0– 01/13–14 में समीक्षा उपरांत पाया कि प्रश्नगत भूखण्ड हाल सर्वे खतियान में अनुसूचित जनजाति श्रेणी का व्यक्ति का है जिसपर गैर आदिवासी द्वारा दखल किया गया है। इस प्रकार भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, सरायकेला ने पारित आदेश में सम्पूर्ण तथ्यों के समीक्षा उपरांत आदेश पारित किये हैं। इसलिए पारित आदेश के विरूद्ध किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित नहीं है। अपीलकर्त्ता/वादियों को आदेश दिया जाता है कि प्रश्नगत भूखण्ड से दो माह के अंदर अपना दखल कब्जा हटा लें अन्यथा अंचल अधिकारी गम्हरिया द्वारा प्रश्नगत भूखण्ड को चिन्हित कर आदिवासी रैयतों को दखल दिला दी जायेगी। साथ ही एस0ए0आर0 वाद में भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, सरायकेला द्वारा पारित आदेश के आलोक में अन्य दखलित व्यक्तियों के विरूद्ध एस0ए0आर0 वाद दायर करने हेतु अंचल अधिकारी गम्हरिया आवश्यक कार्रवाई करना सुनिश्चित करें। विभिन्न कार्यों में व्यस्तता के कारण आज दिनांक 14.08.2017 को आदेश पारित किया गया।

अपील आवेदन अस्वीकृत। वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है।

लेखापित
14/8/17
अपर उपायुक्त,
सरायकेला – खरसावॉ।

14/8/17
अपर उपायुक्त
सरायकेला – खरसावॉ।